अंचल अधिकारी का न्यायालय, तिसरी (गिरिडीह)

विविध वाद संख्या : 06/2020-21

दिनेश प्रसाद साह पिता- स्व0 जागेश्वर साह साकिन जमुनियांटांड, थाना तिसरी।	-: बनाम :-	पोखी राय पिता लिलो राय साकिन जमुनियांटांड, थाना तिसरी।

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
07-06-24	प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में मौजा जमुनियांटांड, थाना नं0 99 के खाता नं0 14, प्लॉट नं0 53, रकवा 4.80 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। जिसे लेकर जारी विवाद की सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के क्रम में प्रथम पक्ष के ओर से कागजात प्रस्तुत कर अपने दादा के नाम खरीदगी भूमि का सरकारी लगान भुगतान कर दखलकार रहने का दावा प्रस्तुत किया गया है। द्वितिय पक्ष के ओर से अपने पूर्वजों के खतियानी भूमि पर कच्चा/पक्का मकान बनाकर दखलकार रह रहें है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नालसी भूमि को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय खोरिमहुआ में दं0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत वाद संख्या 77/2020 की सुनवाई होकर आदेश पारित किया गया है कि " पक्षकारों द्वारा खतियान एवं दस्तावेज के आधार पर अपना-अपना दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका निर्धारण वस्तुतः सक्षम दिवानी न्यायालय के अधिकारिता का विषय है, तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है"(प्रति संलग्न)। चुंकि पूर्व में विवादित भूमि को लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, खोरिमहुआ के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि यह मामला भू-स्वामित्व का है। भू-स्वामित्व के मामले का निराकरण सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा किया जाना नियमानुसार उचित प्रतित होता है। अतः उक्त के आलोक में संबंधित पक्षों को भू-स्वामित्व के मामले का निराकरण सक्षम दिवानी न्यायालय से कराये जाने का परामर्श देते हुए प्रस्तुत मामले का निष्पादन किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी, तिसरी। अंचल अधिकारी, तिसरी	

Digitally signed by Akhilesh Prasad
Date: 2024.06.08 17:06:47 +05:30
Location: 192.168.77.254